



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डअधिकारीकेकडीजिलाअजमेर

राजस्व वाद पत्र स0 179/1/2018

बन्नाराम पिता जगदीश जाट निवासी एकलसिंहा तहसील केकडी जिला अजमेर

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

----प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम 136 भूराजस्व.अधि.

पीठासीनअधिकारी : श्रीनीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 11.6.2018

पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प लसाडिया में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी एव 136 भूराजस्व.अधि. के तहत मय दस्तावेज पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एकलसिंगा तहसील केकडी के जमाबन्दी स. 2070-73 के खाता स. 229 में वादी का नाम बन्नालाल पिता जगदीश दर्ज हो गया है जबकि अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम बन्नाराम पुत्र जगदीश है। अतः जमाबन्दी स. 2070-73 के खाता स. 229 में वादी का नाम बन्नालाल पिता जगदीश के स्थान पर बन्नाराम पुत्र जगदीश का अंकन किया जावे।

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। परोकार सरकार की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम एकलसिंगा तहसील केकडी के जमाबन्दी स. 2070-73 के खाता स. 229 में वादी का नाम बन्नालाल पिता जगदीश दर्ज हो गया है जबकि अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम बन्नाराम पुत्र जगदीश है। अतः जमाबन्दी स. 2070-73 के खाता स. 229 में वादी का नाम बन्नालाल पिता जगदीश के स्थान पर बन्नाराम पुत्र जगदीश किया जाने की प्रस्तुत रिपोर्ट में सिफारिश की है।

हमने वादपत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एव दस्तावेजों का अवलोकन किया। साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का लसाडिया की रिपोर्ट का अवलोकन किया अतः जमाबन्दी स. 2070-73 के खाता स. 229 में वादी का नाम बन्नालाल पिता जगदीश के स्थान पर बन्नाराम पुत्र जगदीश का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच बन्नालाल पिता जगदीश के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी बन्नालाल पिता जगदीश के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी बन्नालाल पिता जगदीश नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार केकडी को निर्णय की प्रतिप्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखाजावे।

आदेश आज दिनांक 11.6.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प लसाडिया में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डअधिकारी
केकडी